रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31012024-251652
SG-DL-E-31012024-251652

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2024/माघ 9, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 409
No. 39]	DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2024/MAGHA 9, 1945	[N. C. T. D. No. 409

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जनवरी, 2024

फा. सं. 1(148)/एएचडी/स्था0/भर्ती नियम पशु चिकित्सा अधिकारी/2021/154—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68—डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जहां तक दिनांक 08.01.2013 की अधिसूचना सं. फा. 54(48)/02/वि0मुख्या0/पार्ट फाइल/2290, पशु चिकित्सा सहायक शल्य—चिकित्सक (अब पशु चिकित्सा अधिकारी) के पद के संबंध में समस्त पूर्ववर्ती भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत विकास विभाग की पशुपालन इकाई में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :—(i) इन नियमों को पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन इकाई, विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग** :— ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, अन्य योग्यताएं इत्यादि :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. अयोग्यता :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. बचाव :– इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1. **पदनाम**	पशु चिकित्सा अधिकारी
2. **पदों की संख्या**	58* (2023) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3. **वर्गीकरण**	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह–'क'
4. **वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–10 (रुपये 56100–177500/–) + प्रैक्टिसबंदी भत्ता
5. **क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	लागू नहीं
6. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	35 वर्ष से अधिक नहीं टीप 1: केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय। टीप 2: आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7. **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	**अनिवार्य** : (i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में शामिल भारत/भारत से बाहर में किसी पशु चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदत्त कोई मान्यता–प्राप्त पशु चिकित्सा संबंधी योग्यता। (ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 अथवा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के प्रावधानों के अंतर्गत किसी राज्य पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रदत्त पंजीकरण। **टीप** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **वांछनीय अनुभव** : डेयरी/ पशु/मुर्गी पालन से संबंधित कर्त्तव्य निर्वहन का कम–से–कम छह माह का व्यावसायिक अनुभव। **टीप** : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों

	को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है/हैं।
8. **क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	01 वर्ष
10. **भर्ती की पद्धति**	सीधी भर्ती द्वारा (100 प्रतिशत) पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर–9 के रुपये 53100–167800 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई 02 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा समकक्ष; तथा (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर–8 के रुपये 47600–151100 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई 04 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा समकक्ष; **तथा** (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले। **टीप** : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. **यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।**	लागू नहीं
12. **यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	**समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ):** 1. अपर मुख्य सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **अध्यक्ष** 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 3. विशेष/अपर सचिव (सेवाएं) – **सदस्य**
13. **वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

टीप :– दिनांक 8 जनवरी, 2013 की अधिसूचना सं0 फा0 54(48)/02/वि0मुख्या0/पार्ट फाइल/2290 को इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् निरस्त कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राम प्रसाद मीणा, विशेष विकास आयुक्त

DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd January, 2024

F. No. 1(148)/AHD/Estt./RR VO/2021/154—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F.24/78/68-DH(S) dated 24 September 1968 and in supersession of all previous RRs in so far as they relate to the post of the Veterinary Assistant Surgeon (now Veterinary Officer) Notification No.F.54(48)/02/Dev.HQ/Pt.file/ 2290 dated 08.01.2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Veterinary Officer in Animal Husbandry Unit of Development Department under the Government of National Capital Territory of Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement -** (a) These rules may be called the Animal Husbandry Unit of Development Department, Government of National Capital Territory of Delhi, Veterinary Officer, Recruitment Rules, 2023.

   (b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application -** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and pay level in pay matrix: -** The number of post, its classification and the pay level in pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualification -** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

   Provided that the Government of National Capital Territory of Delhi may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax -** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of Post	Veterinary Officer
2.	No. of Posts	58 * (2023) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group-A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) + Non Practicing Allowance
5.	Whether Selection Post / Non-Selection Post	Not Applicable
6.	Age Limits for Direct Recruits	Not exceeding 35 years Note 1: Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the

		instruction or order issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.
7.	Educational and other Qualifications required for direct recruits	**Essential:** (i) A recognised Veterinary qualification granted by any veterinary institution in India / outside India which are included in the First or Second Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984. (ii) Registration granted by any State Veterinary Council under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 or Veterinary Council of India. **Note:** Qualification are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Desirable Experience: -** Professional experience of at least six months of handling duties related to dairy / cattle / poultry. **Note:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of the promotees.	Age: - NA Edu. Qual.: - NA
9.	Period of Probations, if any	01 year
10.	Method of recruitment	By Direct Recruitment (100%) Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more, may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of Central Government / State Government / Union Territory:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; **Or** (ii) with 2 years regular service rendered after appointment to the post on regular basis in the pay level - 9 of Rs. 53100-167800 or equivalent in the parent cadre or department; **and** (iii) with 4 years regular service rendered after appointment to the post on regular basis in the pay level - 8 of Rs. 47600-151100 or equivalent in the parent cadre or department; **and** (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under Col. 7. **Note:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer grade from which promotion/ deputation/ transfer to be made	Not Applicable
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):** **1.** Addl. Chief Secretary (Finance) / Pr. Secretary (Finance), Government of National Capital Territory of Delhi – **Chairman** 2. Administrative Secretary concerned Government of National Capital Territory of Delhi – **Member** 3. Special / Addl. Secretary (Services) – **Member**

13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

Note: The notification No.F.54(48)/02/Dev.HQ/Pt. File/2290 dated 8th January, 2013 shall be superseded after issue of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi.

RAM PRASAD MEENA, Special Development Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.31 18:20:23 +05'30'